रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012025-260205 CG-DL-E-14012025-260205

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] No. 26]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2025/पौष 23, 1946 NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2025/PAUSHA 23, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना नई दिल्ली, 29 नवंबर, 2024

सा.का.नि. 30(अ).— .- विस्फोटक नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस (30) दिन के पश्चात विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, निर्दिष्ट अवधि के भीतर निदेशक (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को कक्ष संख्या 252-A, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 अथवा ई-मेल: expl-dipp@nic.in; पर भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

350 GI/2025 (1)

प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों को विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।
 - (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. मूल नियम में, नियम 106 में, उप-नियम (3) का लोप किया जाएगा।
- 3. मूल नियम में, नियम 112 में, उपनियम (1) में, शब्द "पांच" को शब्द "दस" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 4. मूल नियम में, नियम 112 में, उपनियम (8) में, शब्द "पांच" को शब्द "दस" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 2(3)/2019-Expl-Part(4)]

डॉ संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 907(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा.का.नि. 65(अ) तारीख 24 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 772(अ) तारीख 11 दिसंबर, 2013 ओर सा.का.नि. 17(अ) तारीख 9 जनवरी 2019 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th.November, 2024

G.S.R. 30(E).—The draft of the following rules to amend the Explosives Rules, 2008, which Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty (30) days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions if any, to these draft rules may be sent to the Director (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 252-A, Udyog Bhavan, New Delhi – 110011 or Email: expl-dipp@nic.in; within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period above so specified will be taken into consideration by the Central Government. [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

Draft Rules

- 1. (1) These rules may be called the Explosives (Amendment) Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the principal rules, in rule 106, the sub-rule (3) shall be omitted.
- 3. In the principal rules, in rule 112, in sub-rule (1) the word "five" shall be replaced with the word "ten".
- 4. In the principal rules, in rule 112, in sub-rule (8) the word "five" shall be replaced with the word "ten".

[F. No. 2(3)/2019-Expl-Part(4)]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 907(E), dated the 29th December, 2008 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 65(E) dated 24thJanuary, 2011, G.S.R. 772(E), dated the 11thDecember, 2013 and G.S.R. 17 (E) dated 9th January 2019.